[illegible] कार्यालय कैमरा
में पेश हुआ पक्षकार उपस्थित नहीं आये। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्राथमिक
डिक्री दिनांक 21/01/2016 की पक्षकार कमरुद्दीन
आ० व० नं० 25U5/0.U. 2530/05 ग्राम नोनेरा
तहसील कामां में मेरे अच्छी के से अच्छी व बुरी
से बुरी के कुर्ईजात करने का आदेश लिखा गया।
तहसीलदार कामां ने अपने पत्रांक 1367 दि. 13/11/17
के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ कि मुतबिर रिकार्ड
जमाबंदी के काश्तकारान की संख्या अधिक जिनसे
विभाजन में 0.01 है० कम रकबा आता है तथा
सैकड़ों काश्तकारान पर मकान और कोठा बंधाली
शामिल है। ऐसी स्थिति में विभाजन किया जाना
संभव नहीं है।

दिनांक तहसीलदार कामां के अनुसार मुताबिक
जमाबंदी में पक्षकारान के बीच 0.01 है० रकबे के कम
रकबा आता है जिसका अमल दरामद रिकार्ड में
किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण इस्तेमाल
पर दावा अलग बिचारा 53-100 रुपया रकबा
किया जाता है। प्रकरण नक्शे के साथ किया जाकर
फैसल शुमार हो। फैसल तस्लीम शामिल फाइल प्रकरण हो।

08.06.18
SDO Kaman
Camp-Nonera